पत्रांक-06/फार्मेसी-08-23/2023...05(6)...

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

ध्रुव प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

प्राचार्य,
डॉ0 अभिजीत गौतम इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन,
बरही, हजारीबाग।

रॉंची, दिनांक-19-1-24

विषयः-डॉ0 अभिजीत गौतम इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, बरही, हजारीबाग के पक्ष में बी0फार्मा0 कोर्स शुरु करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डॉ0 अभिजीत गौतम इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, बरही, हजारीबाग द्वारा बी0फार्मा0 कोर्स प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु समर्पित आवेदन के संदर्भ में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ सत्र 2023-24 से प्रति वर्ष 60(साठ) सीठों की क्षमता के साथ बी0फार्मा0 कोर्स प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है:-

1. PCI Norms के अनुसार शैक्षणिक संकायों के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
2. PCI Norms के अनुसार शैक्षणिक संकायों की नियुक्ति की जाएगी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के भीतर उपरोक्त सभी शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल व विभाग को सूचित करेंगे एवं तत्पश्चात् ही छात्रों का नामांकन लिया जाएगा।

इस पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19.01.24

(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः-06/फार्मेसी-08-23/2023 -05(6)

दिनांकः-19-1-24

प्रतिलिपिः-निबंधक-सह-सचिव, भारतीय फार्मेसी परिषद्, नई दिल्ली/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/ कुलपति, झारखण्ड प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय/ निबंधक, झारखण्ड राज्य फार्मेसी परिषद्, बरियातु, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.01.24

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–06/फार्मेसी–08–23/2023....11(6)2....

झारखण्ड सरकार

<u>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</u>

"शुद्धि–पत्र"

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 05(6) दिनांक 19.01.2024 द्वारा डॉ0 अभिजीत गौतम इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, बरही, हजारीबाग को सत्र 2023–24 से प्रति वर्ष 60(साठ) सीठों की क्षमता के साथ बी0फार्मा0 कोर्स प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

2. उपर्युक्त पत्र में टंकणीय भूलवश "100(सौ) सीठों की क्षमता" के स्थान पर "60(साठ) सीठों की क्षमता" का अंकण हो गया है।

3. अतः पत्र में अंकित "60(साठ) सीठों की क्षमता" को शुद्ध रूप में "100(सौ) सीठों की क्षमता" पढ़ा जाय।

4. विभागीय पत्रांक 05(6) दिनांक 19.01.2024 की शेष केडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

09.02.24

(ध्रुव प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–06/फार्मेसी–08–23/2023 - 11(6) दिनांकः– 12-2-24

प्रतिलिपिः–निबंधक–सह–सचिव, भारतीय फार्मेसी परिषद्, नई दिल्ली/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/ कुलपति, झारखण्ड प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय/ निबंधक, झारखण्ड राज्य फार्मेसी परिषद्, बरियातु, राँची/प्राचार्य, डॉ0 अभिजीत गौतम इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, बरही, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.02.24

सरकार के उप सचिव।